209

संख्या 636/ix–1/103/2013

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

2–परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
उत्तराखण्ड।

4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

7–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 20 अगस्त, 2013

विषयः–सरकारी कार्यालयों, अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा अपने प्राइवेट वाहनों पर (आगे व पीछे) भारत सरकार उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय के नाम का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों में नम्बर प्लेट पर पंजीयन संख्या के अतिरिक्त कुछ भी अंकित किया जाना दण्डनीय अपराध है एवं किसी गैर सरकारी वाहन में नेमप्लेट लगाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। समय–समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ऐसा देखा गया कि विभिन्न गैर सरकारी, निजी वाहन, टैक्सी एवं किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, उत्तराखण्ड सरकार की मुहर का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। ऐसे वाहनों में नेमप्लेट, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की मुहर/चिन्ह का प्रयोग किया जाना नियमों के विरूद्ध है। साथ ही ऐसा किये जाने से सुरक्षात्मक व प्रशासनिक अव्यवस्था तथा वाहनों के दुरूपयोग की सम्भवनाये विद्यमान रहती है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक अध्यक्ष, नेशनल जस्टिस काउसिंल, 521 इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21–बारहखम्भा रोड, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 11–07–2013(प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें प्राप्त शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने प्राइवेट वाहनों में भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालयों का नाम अंकित किया जा रहा है जो लोक सेवक अधिकारों का दुरूपयोग है।

अत इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने प्राइवेट वाहनों पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विभाग का नाम अंकित नहीं करेगा अन्यथा यह लोक सेवक के अधिकारों का दुरूपयोग माना जायेगा और ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

G O 2013.doc

संख्या 636(1)/ix–1/103/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रशासनिक अध्यक्ष, नेशनल जस्टिस कांउसिल, 521 इन्दप्रकाश बिल्डिंग, 21 बारहखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

2–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3–प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून

4–अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, 12–ई0सी रोड, देहरादून।

5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

G.O.2013.doc